REGD, NO. D. L. -33004/99



# रत का **134** The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (ii) PART II--Section 3--Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.	789]	नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 30, 2012/वैशाख 10, 1934
No.	789]	NEW DELHI, MONDAY, APRIL 30, 2012/VAISAKHA 10, 1934

सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2012

का.आ. 948(अ).----केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) को धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 910(अ), दिनाक 21 अप्रैल, 2010 में एतदुद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :----

उक्त अधिसूचना को तालिका में, स्तम्भ (1) के अंतर्गत, (i) मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 59ए और 86 से संबंधित स्तम्भ (2) और (3) में प्रविष्टियां हटा दी जाएंगी;

(ji) मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 69 से संबंधित स्तम्भ (2) और (3) में निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित को जाएंगी, अर्थात् :---

	सारणी	
रा.रा. सं.	खड	खड कि.मी. मे
(1)	(2)	(3)
"69	मध्य प्रदेश राज्य में ओबेदुल्लागंज-बेतुल-मुल्तई-मध्य प्रदेश/	कि.मी. 0.60 से कि.मी. 8.300 और
	महाराष्ट्र सीमा	कि.मी. 20.700 से कि.मी. 256.400''

[फा. स. एन एच-14013/5/2012-पी एंड एम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

टिप्पण.---मूल अधिसूचना को का.आ. 910(अ), तारीख 21 अप्रैल, 2010 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ. 273(अ), तारीख 14 फरवरी, 2012 द्वारा संशोधित किया गया था।

1527 GI/2012

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

(1)

# THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

#### NOTIFICATION

#### New Delhi, the 30th April, 2012

S.O. 948(E).—In exercise of powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 910(E), dated the 21st April, 2010, namely,—

In the Table to the said notification, under column (1),--(i) against National Highway numbers 59A and 86, the entries in columns (2) and (3), in respect of State of Madhya Pradesh shall be omitted;

(ii) against National Highway number 69, the entries in columns (2) and (3), in respect of State of Madhya Pradesh shall be substituted, namely,—

National Highway No.	Section		Stretch in kilometers
(I)	~ (2)		(3)
<b>"69</b> \	Obaidullaganj-Betul-Multai Madhya Pradesh/ Maharashtra Border in the State of Madhya Pradesh		From km. 0.60 to km. 8.300 and km. 20.700 to km. 256.400."
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · ·	[F No NH-14013/5/2012-P&M

#### MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note.—The Principal notification was published vide number S.O. 910(E), dated the 21st April, 2010 and last amended vide number S.O. 273(E), dated the 14th February, 2012.

#### अधिसुचना

## नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2012

का.आ. 949(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसुचना सं. का.आ. 1096(अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 में एतदुद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 13 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अत:स्थापित को जाएंगी, अर्थात् :---

"13. राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7[कि.मी. 243.600 से कि.मी. 651.500 (रीवा-कटनी-मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सीमा) मध्य प्रदेश तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 12 और रारा सं. 12ए, रारा सं. 26ए, रारा सं. 27, रारा सं. 59ए, रारा राज्य सरकार।" सं. 69 (कि.मी. 0.60 से कि.मी. 20.700 और कि.मी. 20.700 से कि.मी. 256.400) रारा सं. 75 (कि.मी. 0.00 से किमी 85.000 ग्वालियर-झांसी खंड के ग्वालियर बाईपास सहित ग्वालियर-उ.प्र/म.प्र. सीमा को छोड़कर, रारा सं. 76[कि.मी. 0.000 से कि.मी. 30.000 तक को छोड़कर (मध्य प्रदेश और राजस्थान सीमा से शिवपुरी)], रारा सं. 78, रारा झं. 86 और रारा सं. 92 मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं।

[फा. सं. एन एच-14013/5/2012-पी एंड एम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

टिप्पण,—मूल अधिसूचना को का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ. 452(अ), तारीख 16 मार्च, 2012 द्वारा संशोधित किया था। [भाग II—खण्ड 3(ji)]

#### **NOTIFICATION**

#### New Delhi, the 30th April, 2012

S.O. 949(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely :—

In the Schedule to said notification, for serial number 13 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :---

## SCHEDULE

\*13. So much of national Highways No. 7 [excluding from km. 243.600 to km. 651.500 (Rewa to Katni to Madhya Pradesh and Maharashtra Border)], National Highways No. 12, National Highway No. 12A, National Highway No. 26A, National Highway No. 27, National Highway 59A, National Highway No. 69 (excluding from km. 0.60 to km. 8.300 and from km. 20.700 to km. 256.400), National Highway No. 75 [excluding from km. 0.000 to 85.000 of Gwalior to UP/MP Border including Gwalior Bypass of Gwalior-Jhansi Section), National Highway No. 76 [excluding from km. 0.000 to km. 30.000 (Madhya Pradesh and Rajasthan border to Shivpuri)], National Highway No. 78, National Highway No. 86 and National Highway No. 92 as are situated within the State of Madhya Pradesh.

[F. No. NH-140 | 3/5/2012-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note.—The Principal notification was published *vide* number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 452(E), dated the 16th March, 2012.